प्रारूप – दो

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com Phone No. - 0771-4270028

क्रमांक/विभागीय मान्यता/नवीनीकरण/2024–25/ 11422 रायपुर, दिनांक : 30 /09 /2024

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,
समिति – पावन क्रुस सिस्टर्स एसोसिएशन, पुरानी धमतरी रोड़ होली क्रास इंस्टीट्यूट, बोरियाखुर्द रायपुर (छ.ग.) पं.क्रं./5743 दिनांक–20.01.2016
अशासकीय विद्यालय – तेरेसियन अकादमी बोरियाखुर्द, रायपुर।
विकासखण्ड – धरसींवा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

––:: 00 ::––

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र सत्र–2024 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण की अनुशंसा उपरांत अशासकीय विद्यालय – "तेरेसियन अकादमी बोरियाखुर्द, रायपुर" वि.खं.–धरसींवा, जिला–रायपुर (छ.ग.) को कक्षा – नर्सरी एवं 01लीं से 12वीं को शिक्षा सत्र – 2024–25 से 2026–27 तक कुल–03 वर्ष की अवधि के लिए *(माध्यम–अंग्रेजी, गैर अनुदान मान्यता प्राप्त शाला तक के लिए)* अनंतिम मान्यता नवीनीकरण अनुमति प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता होगी। जिसकी शर्ते निम्नानुसार होगी –

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबंध्दता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट –दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(1) छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्य पुस्तकें मान्य होंगी तथा भवन व अन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा ।

(2) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमीं से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।

(3) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

(4) शिक्षा के अधिकार के तहत् निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा WP (PIL) 52/2017 में पारित निर्णय अनुसार निजी विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत् प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री के एवज में राशि का भुगतान नहीं किया जाए बल्कि उन्हे पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री निःशुल्क उपलबध कराया जाए।

18. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अध्यधीन रहेगी।

19. विद्यालय यदि नहीं चलाना हो तो विद्यालय बंद करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं नोडल प्राचार्य को 06 माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें।

20. विद्यालय बंद करने हेतु आवेदन नहीं देने की स्थिति में शाला प्रबंधन/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

21. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ–13–19–20–03–2012 रायपुर, दिनांक 13.04. 2012 एवं आदेश क्रमांक 2887/2016/20–3 रायपुर, दिनांक 22/04/2016 अनुसार शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिये "न लाभ न हानि" के सिद्धांत पर शाला संचालन किया जाय।

22. कक्षा नवमीं से बारहवीं के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु छ.ग.मा.शिक्षा मंडल रायपुर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से संम्बद्धता/मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा ।

23. उपरोक्त शर्तो/नियम के अधीन जिले में आपको स्कूल संचालन हेतु मान्यता/अनुमति दी जाती है।

30.9.24

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठां.क्रमांक/विभगीय मान्यता/नवीनीकरण/2024–25/11423 रायपुर, दिनांक :30/09/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ प्रथम तल, ब्लॉक सी इन्द्रावती भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.) एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाडा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. जिला मिशन समग्र शिक्षा मिशन, कलेक्टर परिसर रायपुर जिला–रायपुर को सूचनार्थ।
6. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. प्राचार्य/नोडल, अधिकारी शास.उ.मा.वि. .... जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

30.9.24

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)